186/2017 होवरराम / कानागाम

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

28/9/21 वकुलाय उप०।
वकील वादी जवाब दर०/बदम दर० 022R के समय चाहते हैं एक अन्तिम अवसर [illegible] का समय चाहते हैं एक अन्तिम अवसर दिया जाता है। पत्रा० दिनांक 20/10/21 को पेश हो।
SDO

20/10/21 वकुलाय उप०
वकील वादी जवाब दर०/बदम दर० 022R 09 का समय चाहते हैं न्यायहित में अन्तिम अवसर दिया जाता है, पत्रा० आयन्दा दिनांक 26/10/2021 को पेश हो।
SDO

26/10/21 पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय हाप०
वकील वादी जवाब दर०/बदम दर० का समय चाहते हैं पूर्व में अवसर दिये गये हैं अंतिम अवसर 200/- रु० कोस्ट राशि पर दिया जाता है। पत्रावली आयन्दा दिनांक 2/11/21 को पेश हो।
SDO

2/11/21 पत्रावली आज पेश हुई।
अधिवक्ता वादी उपस्थित।
अधिवक्ता वादी जवाब दर० के लिए आज भी अवसर चाहते हैं पूर्व में पर्याप्त एवं अनेकानेक अवसर दिये जा चुके हैं न्यायहित में 300/- रु० कोस्ट राशि पर एक और अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली दिनांक 3/11/21 को पेश हो।
SDO

3/11/21 पत्रावली आज पेश हुई। अधि० [illegible]
अधि० वादी आज भी जवाब दर० पेश करने में असफल रहे [illegible] वादी को दिनांक 30/11/2019 से [illegible] पर्याप्त एवं अनेकानेक अवसर दिये जा चुके हैं बावजूद इसके अधि० वादी एवं वादीगण द्वारा न जवाब दर० प्रस्तुत किया है न न्यायालय निर्देशों की तामील की है। यह भी उल्लेखनीय है कि अधि०

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bis
Date: 2022.01.24 16:43:22 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	प्राति० द्वारा दिनांक 20।11।2019 को हस्तगत प्रा० पत्र O22 R 9 CPC प्रस्तुत किया जिसके अनुसार प्रति० संख्या 2 मांगीलाल को फौत हुए कई वर्ष हो चुके हैं इसके बावजूद अधि० वादी द्वारा मृतक के का० मु० को रिकार्ड पर लेने हेतु कोई प्रा० पत्र प्रस्तुत नहीं किया है अतः वाद वादी एबेट हो चुका है। अतः वादपत्र जरिए एबेटमेन्ट खारिज किया जावे।
	आदेशिका एवं हस्तगत प्रा० पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिवक्ता वादी द्वारा दिनांक 20।11।19 को आदेश 22 R 9 का प्रा० पत्र प्रस्तुत किया जिसकी प्रति अधि० वादी को दिनांक 19।12।19 को प्रदान कर दी गई। चूंकि का० मु० प्रा० पत्र मृतक की मृत्यु की जानकारी के 30 दिवस के भीतर तथा विशेष परिस्थितियों में न्यायालय की अनुमति से इसे 90 दिवस तक विस्तारित किया जा सकता है, के भीतर का० मु० प्रा० पत्र प्रस्तुत करना होता है लेकिन हस्तगत प्रकरण में वादी को प्रति० संख्या 2 के मृत्यु की आधिकारिक जानकारी के 2 वर्ष गुजर जाने के बावजूद आदिनांक तक का० मु० का प्रा० पत्र प्रस्तुत नहीं किया है अतः वाद वादी एबेट हो चुका है। अतः वादपत्र अदम तकमील एवं एबेटमेंट के आधार पर इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। वादपत्र मय साथ संलग्न पश्चात वाद ... 3।15 पृथक से विचाराधीन ... मुताबिक निर्णित ... क्रम हेतु दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 16:43:22 IST
Reason: SelfAttested